तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज

चिमना बनाम परखा वगैरह मुकदमा संख्या :– 108/2014

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये

10.07.2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सांचौर के खेत खसरा संख्या 280, 281, 292, 293, 294, 295 रकबा क्रमशः 0.80 है, 0.75 है, 0.25 है, 0.40 है, 0.34 है, 0.44 है, जिसके पुराने खसरा संख्या 610 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा व खसरा संख्या 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2722, 2723, 2724, 2727, 2715/3155, रकबा क्रमशः 0.02 है, 2.78 है, 0.01 है, 0.03 है, 0.88 है, 0.02 है, 2.30 है, 2.20 है, 0.68 है, 1.20 है, 2.00 है, 0.15 है जिसके पुराने खसरा संख्या 657 रकबा 61 बीघा 18 बिस्वा आये हुए है उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा कब्जा काश्तसुदा एवं खातेदारी का आया हुआ है। संवत् 2030 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने पारिवारिक मौखिक बंटवाड़ा कर अपने–अपने हिस्से अलग कर कब्जा काश्त प्राप्त किया जो बदस्तुर है प्रार्थी ने 1/4 हिस्से में अलग से माठें कायम कर दी। उक्त बंटवाड़े के खसरा संख्या 2295 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2292 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2727 रकबा 2.00 है, खसरा संख्या 2724 रकबा 1.20 हैक्टेयर में से 0.16 हैक्टयर, खसरा संख्या 2723 0.68 हैक्टेयर में से 0. 16 हैक्टेयर खसरा संख्या 2696 रकबा 0.88 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर प्रार्थी के बंट में आई होने से कब्जा काश्त प्रार्थी का है तथा नजरी नक्शा 'अ' में प्रार्थी के बंट की आराजी को आसमानी रंग से दर्शाया गया है। नवीन सेटलमेंट में अप्रार्थीगण ने अमीन से मिलावट कर प्रार्थी के बंट में 1/4 हिस्से की कम आराजी दर्ज कर दी। उपरोक्त आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा बंट में आया होने से कब्जा काश्त प्रार्थी का है। खसरा संख्या 2295 गलत रूप से अप्रार्थी नारणा, अणदा व देवा के नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी को अप्रार्थी माना अणदा व देवा आवासीय भूमि रूपान्तरण कर किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने की फिराक में है जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है दावा दर्ज होने के 4–5 रोज पूर्व अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर प्रार्थी को उक्त भूमि छोड़कर चले जाने की एलानियां धमकी दी जबकि प्रार्थी अपने कब्जा–काश्त में शांतिपूर्ण काश्त करता आ रहा है इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनो मुलभूत कानुनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सांचौर के खसरा संख्या 280, 281, 292, 293, 294, 295 रकबा क्रमशः 0.80 है, 0.75 है, 0.25 है, 0.40 है, 0.31 है, 0.44 है, जिसके पुराना खसरा संख्या 610 है। खसरा संख्या 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2772, 2723, 2724, 2727, 2715/3155 रकबा क्रमशः 0.02 है, 2.78 है, 0.01 है, 0.03 है, 0.88 है, 0.02 है, 2.30 है, 2.20 है, 0.68 है, 1.20 है, 2.00 है, 0.15 जिसके पुराना खसरा संख्या 657 रकबा 61 बीघा 18 बिस्वा की भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा कतई नहीं था। भूमि अप्रार्थीगण की है जो राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है प्रार्थी का उक्त भूमि में जो हक–हकूक व हिस्सा है, वह राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है मौके पर कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण की है प्रार्थी के बंट में भूमि न तो कभी थी एवं न ही है प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शा 'अ' मनगंढत व गलत तेयार कर पेश किया है। प्रार्थी को उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है जब प्रार्थी की भूमि ही नहीं है तो उसे एलानियां धमकी देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है चुंकि भूमि शुरू से ही प्रेडिसेसर के रूप में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं गलत होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांती अध्ययन व [illegible] दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत [illegible] का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से [illegible]

:– आदेश :–

अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा [illegible] के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा[illegible] कि मौजा सांचौर की उक्त वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से बैचान, रहन, हस्तांतरण नहीं करे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:19:15 IST
Reason: SelfAttested